गोपाल बनाम जगदीश

2021/245

निर्णय दिनांकः–16.05.2023

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/245 दर्ज तिथिः–26.07.2021

1. गोपाल पुत्र बद्रीप्रसाद
2. प्रहलाद पुत्र बद्रीप्रसाद
3. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद
4. चिरंजी पुत्र बद्रीप्रसाद
5. गीता पुत्री बद्रीप्रसाद
6. सीता पुत्री बद्रीप्रसाद
7. पुष्पा पुत्री बद्रीप्रसाद
8. सुनीता उर्फ सुमन पुत्री बद्रीप्रसाद
9. सांझा पत्नी बद्रीप्रसाद

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण समस्त निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाल्या उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ताः– श्री पुष्पेन्द्र शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री गोपाल शर्मा ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53/88
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 16.05.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकास्मा अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 814 रकबा 1.25 है0, 815 रकबा 0.02 है0, 816 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 रकबा 2.17 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादी वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित हुए। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा इकबाल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 814/2 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 814 के दक्षिणी—पूर्वी कोण में 73 मीटर लम्बाई तथा 23 मीटर चौडाई एवं खसरा नम्बर 816 रकबा 0.90 है0 कुल 1.07 है0 वादीगण को दे दिया जावे। खसरा नम्बर 814/2 रकबा 1.08 है0 प्रतिवादी को दे दिया जाये तो प्रतिवादी को उज्र ऐतराज नहीं है। प्रकरण मे वादी के वाद पत्र के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक—पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

.....उभय पक्षकारान

2. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक—पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

......................उभय पक्षकारान

3. अन्य दादरसी।

......................उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा क्रमांक/भू0अ0/2022/2578 दिनांक 24.08.2022 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान की। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादी हाल आराजी खसरा नंबर 814 रकबा 1.25 है0, 815 रकबा 0.02 है0, 816 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

5. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने हिस्से की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल

खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खाता संख्या 148 आराजी खसरा नंबर 814 रकबा 1.25 है0, 815 रकबा 0.02 है0, 816 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 रकबा 2.17 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रा[illegible]यम करते हुए अलग–अलग खाते प्रविष्टियां किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः—16.05.2023

क्र.स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र बाल्या जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	पूर्ण	814/1	1.08 है0	चाही तृतीय	11.88
	किता 01 रकबा 1.08 है0					11.88
1	ओमप्रकाश पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
2	गीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
3	गोपाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
4	चिरंजीलाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9	814/2	0.17 है0	चाही तृतीय	1.87
5	प्रहलाद पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
6	पुष्पा पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9	816	0.90 है0	चाही तृतीय	9.90
7	सीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
8	सुमन उर्फ सुनिता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
9	सांझा पत्नी बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
	किता 02 रकबा 1.07 है0					11.77
1	ओमप्रकाश पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
2	गीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
3	गोपाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18		0.02 है0	गै0 मु0 चाह	
4	चिरंजीलाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

5	प्रहलाद पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
6	पुष्पा पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
7	सीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
8	सुमन उर्फ सुनिता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
9	साझा पत्नी बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
10	जगदीश पुत्र बाल्या जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/2				
किता 01 रकबा 0.02 है0						

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

निर्णय दिनांकः–16.05.2023

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/245 | दर्ज तिथिः–26.07.2021

1. गोपाल पुत्र बद्रीप्रसाद
2. प्रहलाद पुत्र बद्रीप्रसाद
3. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद
4. चिरंजी पुत्र बद्रीप्रसाद
5. गीता पुत्री बद्रीप्रसाद
6. सीता पुत्री बद्रीप्रसाद
7. पुष्पा पुत्री बद्रीप्रसाद
8. सुनीता उर्फ सुमन पुत्री बद्रीप्रसाद
9. सांझा पत्नी बद्रीप्रसाद

समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण समस्त निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.......................वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र बाल्या उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ताः– श्री पुष्पेन्द्र शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री गोपाल शर्मा ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

निर्णय दिनांकः—16.05.2023

—:पर्चा डिक्री:—

निर्णय तिथिः— 16.05.2023

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी हाल खाता संख्या 148 आराजी खसरा नंबर 814 रकबा 1.25 है0, 815 रकबा 0.02 है0, 816 रकबा 0.90 है0 कुल किता 03 रकबा 2.17 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

क्र.स.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश पुत्र बाल्या जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	पूर्ण	814/1	1.08 है0	चाही तृतीय	11.88
	किता 01	रकबा 1.08 है0				11.88
1	ओमप्रकाश पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
2	गीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
3	गोपाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
4	चिरंजीलाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9	814/2	0.17 है0	चाही तृतीय	1.87
5	प्रहलाद पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
6	पुष्पा पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9		0.90 है0	चाही तृतीय	9.90

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

7	सीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
8	सुमन उर्फ सुनिता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
9	सांझा पत्नी बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/9				
	किता 02 रकबा 1.07 हे0					11.77
1	ओमप्रकाश पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18	815	0.02 हे0	गै0 मु0 चाह	
2	गीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
3	गोपाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
4	चिरंजीलाल पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
5	प्रहलाद पुत्र बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
6	पुष्पा पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
7	सीता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
8	सुमन उर्फ सुनिता पुत्री बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
9	साझा पत्नी बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/18				
10	जगदीश पुत्र बाल्या जाति हरियाणा ब्राह्मण सा0देह खातेदार	1/2				
	किता 01 रकबा [illegible] हे0					

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से अनुसार खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में

पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी—अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:23 IST
Reason: SelfAttested